मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि श्रमिक भाइयों की बिटिया की शादी में तीन दिन पहले एक लाख एक हजार रुपए का चेक लेकर उनके घर पहुंच जाएं।

—— नायब सैनी, सीएम, हरियाणा

# निर्माण कार्यों के लिए कैलेंडर बनाएं : सीएम

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- लालतप्पड़ कन्वेंशन सेंटर जुलाई, 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश
- स्वरोजगार योजना में बजट बढ़ाने को तैयार सीएम धामी
- विनिर्माण क्षेत्र में 1. 26 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना

औद्योगिक परियोजनाओं में लेटलतीफी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कैलेंडर बनाने के निर्देश दिये हैं, ताकि योजनाओं में तेजी आ सके। उन्होंने सीएम स्वरोजगार योजना में बजट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिये। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यो का पूरा कलेण्डर बनाया जाए, जिन परियोजनाओं को दो साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनकी डेटलाइन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य हर हाल में जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाए। यह कन्वेंशन सेंटर लगभग 57 एकड़ में बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा ऊधमसिंहनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवस्थापना विकास और तकनीकि दक्षता से सबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की लिए की गई थी, उस हिसाब से कार्य किये जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

उद्योग विभाग और सिडकुल के अफसरों की बैठक लेते सीएम धामी।

उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पालिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, इससे कार्यो में अनावश्यक देरी होती है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा आदि उपस्थित थे।

## 50 हजार लोगों को मिला रोजगार

बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस योजना को लोगों को अधिक से आकि फायदा मिले, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया जाए। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। 2028 तक राज्य की जीडीपी दुगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2028 तक 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि एक लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी कार्य किये जाएं।

# अपडेट रखें विभागीय वेबसाइट : मुख्यमंत्री

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेस की बैठक में सीएम के निर्देश
- सरकार जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो।

सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेस की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराये जाने के लिए चलाये गये पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो। पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड के तहत योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो। अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं आनलाइन माध्यम से दी जा रही हैं। ई-अफिस प्रणाली के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

आईटीडीए- सीएससी के तहत 60 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 25 प्रकार के कोर्स शामिल रहे हैं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव विजय जोगदंडे, निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल आदि अधिकारी उपस्थित थे।

# न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण और स्वर्णिम क्षण : बंसल

**देहरादून (एसएनबी)।** भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सांसद राज्य सभा नरेश बंसल ने सोमवार से प्रभावी नये आपराधिक कानूनों को नए भारत के अपने कानून करार दिया। बंसल ने इसे भारत के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण व स्वर्णिम क्षण बताया। उन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

बंसल ने कहा कि नए कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज करना बहुत आसान हो गया है। नयी संहिता महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अधिक संवेदनशील है। नये कानूनों को समय पर जांच पूरी करके सभी के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले होगे। बंसल ने कहा कि नए कानून मे दंड की जगह अब न्याय होगा। देरी के बजाय स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा। पहले, केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब, पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी व तकनीक पर जोर दिया गया है।

# पुलिस राज कायम करना चाहती है सरकार : मैखुरी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- कहा, केंद्र सरकार इन कानूनों को लागू करने का निर्णय वापस ले और इन्हें संसद में फिर पेश करे
- पुलिस हिरासत अवधि को मौजूदा 15 दिन से बढ़ा 90 दिन तक कर दिया गया है जो अमानवीय है

भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार तीन नयी फौजदारी संहिताओं - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जरिए देश में पुलिसराज कायम करना चाहती है।

भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सरकार इन तीन फौजदारी कानूनों को लागू करने का निर्णय वापस ले और इन्हें संसद में पुनः पेश करे ताकि इनकी सही जांच परख हो सके। इन संहिताओं द्वारा मूलभूत नागरिक स्वतंत्रताएं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, किसी के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक अधिकारों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कई कठोर प्रावधान किए गए हैं।

यहां तक कि भूख हड़ताल को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। मैखुरी ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए बचावों का अनुपालन किए बगैर पुलिस को व्यक्तियों को निरुद्ध करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। यह बाध्यकारी कर दिया गया है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम, पता और अपराध की प्रति का हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर भौतिक एवं डिजिटल प्रदर्शन प्रमुख रूप से किया जाए।

यह प्रवाधान निजता के अधिकार और किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा के हनन के अलावा बिना औपचारिक दोषसिद्धि के ही व्यक्तियों को पुलिस द्वारा निशाना बनाए जाने को सुगम करता है। हथकड़ी लगाने को वैध बना दिया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में पुलिस को विवेकाधिकार दे दिया गया है।

पुलिस हिरासत की अवधि को वर्तमान 15 दिन से बढ़ा कर 60 या 90 दिन (अपराध की प्रकृति के अनुसार) कर दिया गया है, जो कि आरोपी व्यक्ति को धमकाए जाने, उत्पीड़न और खतरे में डालेगा। तन्हाई जैसी अमानवीय सजा को वैधानिक मान्यता दे दी गयी है। माले नेता ने कहा कि, जिस देश में फौजदारी मामलों का जबरदस्त बैकलग (3.4 करोड़ मुकदमें लंबित) है, उसके बीच में इन तीन कानूनों को लागू करना, दो समानांतर कानूनी व्यवस्थाएं उत्पन्न करेगा, जिससे और बैकलग बढ़ेगा तथा पहले से अत्याधिक बोझ झेल रहे न्यायिक तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

# स्कूल की मान्यता रद्द करने का स्वागत

**देहरादून(एसएनबी)।** भाजपा नेता रवीन्द्र जुगरान ने आरटीई का पालन न करने वाले स्कूल की मान्यता रद्द करने के शिक्षा विभाग के फैसले का स्वागत किया है।

जुगरान ने इस बाबत सोमवार को सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन को एक पत्र प्रेषित किया। कहा कि उत्तराखंड सरकार कल्याण कारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप कार्य कर रही है इसका उदाहरण शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की नाफरमानी करने वाले देहरादून तेग बहादुर रोड स्थित सन वैली स्कूल की मान्यता निरस्त करना है। जिसने गरीब, वंचित व अंत्योदय के बच्चों को लाटरी से चयनित होने के बावजूद विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया।

# आठ राज्य निदेशालयों में उत्तराखंड प्रथम

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

पिथौरागढ़।

उत्तराखंड निदेशालय की देखरेख तथा 80वीं एनसीसी वाहिनी पिथौरागढ़ की मेजबानी में चले आठ राज्य निदेशालयों की बालिका वर्ग की अखिल भारतीय रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शिविर में कड़े मुकाबले में उत्तराखंड निदेशालय अव्वल रहा।

मेजबान 80वीं वाहिनी पिथौरागढ़ के कामन्डिंग आफिसर बीएस तड़ागी के नेतृत्व में चले इस रॉक क्लाइंबिंग शिविर का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन अवसर के मुख्य अतिथि नैनीताल ग्रुप के ग्रुप कमांडर कमोडोर बीआर सिंह ने कैडेटों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं जो विश्व के सबसे बड़े त्रिसेवा वर्दीधारी संगठन का हिस्सा हैं।

हम आपके अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से हम पर विश्वास कर यहां भेजा। इसके बाद कमोडोर सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी तरदीप कौर ने संयुक्त रूप से विजेता प्रतिभागी कैडेटों को पुरस्कृत किया। छह दिनों तक चले शिविर के दौरान हुई प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड निदेशालय ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय को कड़े मुकाबले में पछाड़कर पहले स्थान पर कब्जा कर लिया।

अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मौजूद कैडेट।

समापन अवसर पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न निदेशालयों ने अपनी क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किये, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कैडेटों ने डोगरी कश्मीरी और लद्दाखी नृत्य प्रस्तुत कर पहला, उत्तराखंड निदेशालय ने राजजात यात्रा को प्रस्तुत कर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

वहीं गुजरात ने गरबा, राजस्थान ने घुमर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ ने भांगड़ा, बिहार व झारखंड ने नागपुरिया बिहारी, दिल्ली ने इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ एनसीसी और उत्तर प्रदेश ने फ्रीस्टाइल के शानदार कार्यक्रम पेश किए। देर सायं तक चले इन रंगारंग कार्यक्रमों पर कैडेट खूब थिरके। शिविर के दौरान जूनियर वर्ग की आर्टिफिशियल वॉल क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने पहला, उत्तराखंड ने दूसरा, यूपी ने तीसरा, सीनियर वर्ग में उत्तराखंड ने पहला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने तीसरा, रैपलिंग में बिहार और झारखंड ने पहला जबकि उत्तराखंड ने दूसरा और तीसरा, जुमारिंग जूनियर वर्ग में गुजरात ने पहला, बिहार झारखंड ने दूसरा, दिल्ली ने तीसरा और सीनियर वर्ग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने पहला, गुजरात ने दूसरा जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस शिविर की रोमांचक प्रतियोगिता टग ऑफ वर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय ने पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय को हराया।

इस मौके पर बटालियन के एडम अफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह ऐरी, एनसीसी अधिकारी कुसुम जोशी, मीतू शर्मा, पूजा सक्सेना, निशा अग्रवाल, कविता पंचोली, सूबेदार मेजर प्रताप सिंह बुंगला, सूबेदार विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे।

# पूर्वानुमान को लेकर मॉडल विकसित करें संस्थान : सिन्हा

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की अध्यक्षता में हुई बैठक
- विभिन्न केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक हुए शामिल

आगामी मानसून सत्र को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विभिन्न केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न आपदाओं को लेकर जोखिम आकलन, न्यूनीकरण, राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं हर साल कई चुनौतियां लेकर आती हैं। मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से काफी जान-माल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक विभाग का कार्य नहीं है बल्कि कई विभागों के आपसी सामंजस्य और तालमेल से आपदा की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की रिसर्च आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में एक दिशा प्रदान कर सकती हैं।

सचिव ने भूस्खलन के साथ ही अन्य आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और उनके अनुभवों व उनके द्वारा प्रयोग की जा रही तकनीकियों को समझा। उन्होंने जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया व वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों से पूर्वानुमान को लेकर एक माडल विकसित करने को कहा, जिससे यह पता लग सके कि कितनी बारिश होने पर भूस्खलन की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमान बेहद जरूरी हैं।

इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो.ओबैदुल्लाह अंसारी, यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार, मौसम केंद्र के निदेशक डा. विक्रम सिंह, डीडी डालाकोटी, मनीष भगत, तंद्रीला सरकार, रोहित कुमार, डा.पूजा राणा, वेदिका पंत, हेमंत बिष्ट, जेसिका टेरोन सहित केंद्रीय जल आयोग, मौसम विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोर्ट सेंसिंग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सीबीआरआई रुड़की, एनजीआरआई हैदराबाद, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता और देहरादून आदि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मानसून को लेकर बैठक लेते सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास डा.रंजीत कुमार सिन्हा।

## फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश

सचिव ने कहा कि इनसार तकनीक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकती है। उन्होंने एनजीआरआई के वैज्ञानिकों से इस पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से कार्य करने को कहा। उन्होंने एनआईएच रुड़की के वैज्ञानिकों को फ्लड प्लेन जोनिंग की रिपोर्ट और डाटा के इस्तेमाल कर उत्तराखंड के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए। नेशनल सेंटर फार सिस्मोलजी के निदेशक डा.ओपी मिश्रा ने बताया कि रियल टाइम लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर अमृता विश्वविद्यालय ने कार्य किया है और उनके रिसर्च का लाभ उत्तराखंड में भूस्खलन की रोकथाम में उठाया जा सकता है।

## आईआईटी रुड़की के प्रोजेक्ट का सत्यापन होगा

सचिव ने मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंस के नियंत्रणाधीन नेशनल सेंटर फार सिस्मोलजी को आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का वेलीडेशन करने को कहा। प्रोजेक्ट से जुड़े डाटा को एमईएस को भेजने के निर्देश दिए, जिससे यह पता लग सके कि यह कितना कारगर है।

# केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा

**नैनीताल।** उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के-लड़कियों के प्यार व डेटिंग के दौरान पकड़े जाने पर लड़के को गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई । हाईकोर्ट की अधिवक्ता मनीषा भंडारी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नाबालिग लड़के-लड़कियों के प्यार के मामले में हमेशा दोषी लड़के को माना जाता है। कुछ मामलों में लड़की बड़ी होती है तब भी लड़के को ही कस्टडी में लिया जाता है और उसे क्रिमिनल बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। जबकि उसकी गिरफ्तारी के बजाय काउंसिलिंग होनी चाहिए। जिस उम्र उसे कॉलेज होना चाहिये था वह जेल में होता है । ऐसे मामले में जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसे मामले में लड़के,लड़कियों व परिजनों की काउंसिलिंग की जानी चाहिये। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि हल्द्वानी जेल में ऐसे आरोपों से सम्बंधित 20 बच्चे बन्द है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

## उपचुनाव में सिखाएंगे कांग्रेस को सबक: भट्ट

**देहरादून।** भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में कथित रूप से राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान की कड़ी आलोचना करते हुए देश की जनता से सार्वजनिक माफी की मांग की हैं। भट्ट ने कहा कि जिस तरह उन्होंने सनातन का अपमान करने और योजनाओं पर झूठ परोसने के लिए सदन का दुरुपयोग किया, उसका जवाब देवभूमि की जनता बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित कर देने वाली है। भट्ट ने कहा कि इससे पूर्व भी उनकी पार्टी और सहयोगी पार्टी के नेता लगातार सनातन के अपमान और उसे समाप्त करने का आह्वान करते रहते हैं। सर्वाधिक आपत्तिजनक यह है कि इस बार हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्दावली का उपयोग लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में किया गया। पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत होगी।

# केंद्रीय खेल मंत्री से मिलीं रेखा आर्या

**नई दिल्ली/देहरादून।** प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या नें केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डा. मनसुख मंडविया से शिष्टाचार भेंटकर उन्हें मंत्री बनने की बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर रेखा आर्या ने उन्हें 2024 में उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारम्भ की तिथि निर्धारित करने व अन्य बिन्दुओ के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने शीघ्र राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराए जाने की बात पर सहमति जतायी। मंत्री ने उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आगमन का निमंत्रण भी दिया।

**ICICI Home Finance** | **कार्पोरेट कार्यालय** : आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई–400059, भारत

**शाखा कार्यालय** : शोरूम नंबर 301, तृतीय तल, श्रीराम आर्केड, पुराना म्युनिसिपल नंबर 74, राजपुर रोड, देहरादून पिन : 248009

**[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]**

**अचल आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्यभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक कब्जा** आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी

| क्र. सं | कर्जदार (रों)/सह–कर्जदारों/ गारंटरों /कानूनी वारिसों का नाम ऋण खाता संख्या | प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई | बकाया राशि | सुरक्षित मूल्य: धरोहर राशि जमा | सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय | नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) |
| 1. | प्रशांत कुमार (कर्जदार), रोमा कुमारी (सह–कर्जदार), ऋण खाता सं. एलएचडीईएच00001407775 एवं एलएचडीईएच00001409540 | प्लॉट खाता नंबर 1876, खसरा नंबर 530, स्थित मौजा सिद्दारवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड 248001. | रू. 8,73,483/– 24–06–2024 | रू. 9,22,185/– रू. 92,220/– | 08–07–2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक | 19–07–2024 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक |

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टेक** की वेबसाइट (**यूआरएल लिंक – https://BestAuctionDeal.com**) पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचना प्रेषिती को **18–07–2024 के अप. 5.00 बजे** से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित चुकाने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बिडर (बिडर्स) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कालम ई देखें) **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, शोरूम नंबर 301, तृतीय तल, श्रीराम आर्केड, पुराना म्युनिसिपल नंबर 74, राजपुर रोड, देहरादून पिन : 248009** में **18–07–2024** को अथवा पूर्व **अप. 04.00 बजे** से पहले जमा करनी होगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, शोरूम नंबर 301, तृतीय तल, श्रीराम आर्केड, पुराना म्युनिसिपल नंबर 74, राजपुर रोड, देहरादून पिन : 248009 में 18–07–2024 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे** से पहले जमा करनी होगी। धरोहर राशि जमा हेतु डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से **"आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड–नीलामी"** के पक्ष में **देहरादून** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड से 9920807300** पर अथवा हमारे **सेल्स एवं मार्केटिंग पार्टनर नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड** से सम्पर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें : **https://www.icicihfc.com/**

**तिथि : 02–07–2024** **प्राधिकृत अधिकारी**

**स्थान : देहरादून** **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड**

# नए कानून का पहला मुकदमा कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज

**हरिद्वार (एसएनबी)।** कोतवाली ज्वालापुर में गंगनहर घाट पर बैठे युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल फोन व नगदी लूटने की घटना का मुकदमा नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने चंद घंटों में वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नगदी व चाकू बरामद हुआ। वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी पर पहले भी दो लूट व एक चोरी का मुकदमा दर्ज है जबकि दूसरा भी जेल जा चुका है। पूछताछ करने के बाद मेडिकल करवा कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

- चाकू की नोक पर मोबाइल व नकदी लूटने वाले गिरफ्तार

कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मोहल्ला जाटान कोतवाली शहर बिजनौर से रविदास घाट पर दो बदमाशों ने चाकू दिखाकर धमकी देकर मोबाइल व 1400 रुपये लूट कर ले गए। पीड़ित की तहरीर पर नई आपराधिक क़ानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (4) के मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीमों का गठन कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों की तलाश की गयी। मुखबिर की सूचना की सूचना दोनों आरोपितों को क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित शातिर बदमाश हैं जो पहले भी लूट व अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में आरोपितों ने अपने नाम अक्षय पुत्र वेदपाल व जानी पुत्र दिनेश निवासीगण बाल्मीकि बस्ती कोतवाली ज्वालापुर बताया। दोनों के विरुद्ध पहले भी लूट व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

# कंट्रोल रूम में रहें चाक चौबंद व्यवस्था : रूहेला

**देहरादून(एसएनबी)।** मानसून सीजन को लेकर सोमवार को राज्य सलाहकार समिति, आपदा प्रबंधन विभाग के उपायक्ष विनय रूहेला ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही विभिन्न जिलों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर तैयारियों को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर उन्होंने ऊधमसिंह नगर जिले एडीएम से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

- राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने मानसून को लेकर जिलों की तैयारियों को परखा

उन्होंने जिलों को डाक्टरों, दवाइयों, फार्मासिस्टों, एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। आपदा संबंधी एलर्ट और सूचनाओं का समय पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारियों, जेसीबी, एंबुलेंस के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण नंबर रखने को कहा। पैदल मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि सेटेलाइट फोन की नियमित तौर पर टेस्टिंग की जाए। सभी जिलों से फूड पैकेट की व्यवस्था अभी से करने को कहा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन राजकुमार नेगी ने यूएसडीएमए की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया।